दिनांक 5–12–2022 को जिलाधिकारी महोदया, की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक।

ऐजेण्डा–1 **गत बैठक दिनांक 27–7–2022 को समिति के निर्णय पर कृत कार्यवाही पर समीक्षा**

1– राजकीय औद्योगिक आस्थान पटेलनगर, देहरादून–

क्र0 सं0	बिन्दु	दिनांक 27–7–2022 की बैठक मे लिये गये निर्णय ।	कृत कार्यवाही।
1	आस्थान की नालियों की सफाई व मरम्मत	उद्योग संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा असन्तोष ब्यक्त करते हुये अवगत कराया है कि नालियों की सफाई तो की गयी है,परन्तु मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है। नालियों का संकरा होने के कारण बार–बार क्षतिग्रस्त एवं चोक हो जाती है। नालियों की चौडाई बढाते हुये मरम्मत का कार्य किया जाय। सहायक नगर आयुक्त द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है कि मरम्मत आदि का कार्य नगर निगम बोर्ड के माध्यम से पास किये जाने के उपरान्त किया जाता है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी महोदया की ओर से नगर आयुक्त को स्वयं एवं औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के उपरान्त नालियों की साफ सफाई निरन्तर अन्तराल में लगातार किये जाने के लिये पत्र प्रेषित किया जाय। कार्यवाही–महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/नगर आयुक्त नगर निगम।	जिलाधिकारी महोदया के ओर से नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया। नगर आयुक्त,नगर निगम ने अपने पत्र संख्या 114 दिनांक 31 अगस्त,2022 द्वारा श्री राजेश पंवार सफाई निरीक्षक को पाक्षिक रूप से सफाई कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सफाई का कार्य समय–समय पर किया जा रहा है। बी.एस.एन.एल के पास क्षतिग्रस्त नाला/नालियों की मरम्मत हेतु रू0–10.77 लाख का आंगणन वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
2	लालपुल से औद्योगिक आस्थान मार्ग पर अतिक्रमण	औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा कृत कार्यवाही पर असंतोष ब्यक्त किया गया तथा अवगत कराया गया कि स्थिति यथावत बनी हुयी है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदया की ओर से नगर निगम आयुक्त को औद्योगिक संघों के पदाधिकारियों के साथ स्वयं निरीक्षण कर अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जाय। कार्यवाही–महा प्रबन्धक/नगर आयुक्त नगर निगम।	जिलाधिकारी महोदया के ओर से नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया। नगर निगम द्वारा जेब्राफोर्स(होमगार्ड), पुलिस बल, यातायात पुलिस(सी.पी.यू) का सहयोग लेते हुये दिनांक 29–8–2022 को लालपुल से कारगी चौक तक अवैध ठेली,खोखे आदि को हटाया गया एवं जब्त करते हुये रू0–7200 की चालानी कार्यवाही की गयी तथा निरन्तर अभियान लगाकर मुख्य मार्गों से हटा कर जब्तीकरण एवं चालानी कार्यवाही की जा रही है।

<u>2– औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल सेलाकुई</u>

3	शौचालय निर्माण	क्षेत्रीय प्रबन्ध सिडकुल द्वारा अपने पत्र दिनांक 29–3–2022 द्वारा अवगत कराया गया था कि औद्योगक क्षेत्र आई0आई0ई0 सेलाकुई के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु मै0 ˜चबवे तथा सिडकुल के बीच डव्न दिनांक 11–3–2022 को सम्पादित कर दिया गया है, कार्यवाही गतिमान है । बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल द्वारा अवगत कराया गया है कि टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा 15 अगस्त22 तक कार्य प्रारंभ कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि शौचालय निर्माण पूर्ण होने तक मोवाईल ट्वालेट की वैकल्पिक ब्यवस्था की जाय। कार्यवाही–क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल सेलाकुई ने अपने पत्र संख्या 221 दिनांक 2–9–22 द्वारा सूचित किया है कि वेबकोस द्वारा टैण्डर प्रक्रिया दिनांक 2–8–22 को की गयी है, जिसमें कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुयी है, इस संबन्ध में पुनः निविदा की गयी है। मुख्य विकास अधिकारी के पत्र संख्या 1855 दिनांक 26–11–22 द्वारा तत्काल वैकल्पिक ब्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से उद्योग मित्र फोरम को एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं। क्षेत्रीय प्रबन्धक ने अपने पत्र संख्या 300 दिनांक 1–12–22 द्वारा सूचित किया है कि माह अक्टूबर,22 तक कार्यपूर्ण न करने के कारण मैं0 वापकोस को दिया गया कार्य सिडकुल प्रबन्धक द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा उक्त कार्यों को किये जाने हेतु सिडकुल स्तर से कार्यवाही गतिमान में। शौचालय की वैकल्पिक ब्यवस्था के संदर्भ में अभी भी कृत कार्यवाही की सूचना अप्राप्त है।
4	सेलाकुई क्षेत्र में 220 केवीए सब स्टेशन का निर्माण	अधिशासी अभियन्ता द्वारा बैठक में सूचित किया है की उक्त संबन्धित कार्य श्री सचिन रावत,(मोवाईल7088117923) मेल`म.कइ/चपजबनसण्वतह सुपरिन्टैण्डिगं इन्जिनेयर ए0डी0बी0–पी0एम0यू0 द्वारा किया जा रहा है, वे ही प्रगति से अवगत करा सकते है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा उपरोक्त संबन्धित एस0ई0–ए0डी0बी0 को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यवाही– सुपरिन्टैण्डिगं इंजिनेयर ए0डी0बी0 सेलाकुई/अधिशासी अभियन्ता विद्युत।	अधिशासी अभियन्ता (पी आई) पिटकुल देहरादून ने अपने पत्र संख्या 23 दिनांक 3–12–22 द्वारा सूचित किया है कि सेलाकुई परिसर में 220/33 के0वी0 सबस्टेशन हेतु निविदा दिनांक 1–12–22 को प्रकाशित कर दी गयी है। परियोजना पर कार्य वर्ष 2023 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
5	औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई की सड़क में स्थित गढ्ढों को भरने पर कार्यवाही	जिलाधिकारी द्वारा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों के गढ्ढों को भरने हेतु अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त कार्यों के निस्तारण हेतु अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को सूचित किया गया था। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक दिनांक 30–8–22 को अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सेलाकुई को एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित कार्यवाही करते हुये उद्योग मित्र फोरम को सूचित करने के निर्देश दिये गये। कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सेलाकुई।	अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सेलाकुई ने अपने पत्र संख्या 370/गड्ढों को भरने हेतु/22–23 दिनांक 28–9–22 द्वारा श्री रघुबीर सिंह नेगी अपर सहायक अभियन्ता,ग्रामीण विकास निर्माण विभाग देहरादून को एक सप्ताह के अन्दर स्टीमेट उपलब्ध कराते हुये कृत कार्यवाही से उद्योग मित्र फोरम को सूचित करने के निर्देश दिये गये। अग्रेत्तर कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

6	ईएसआई हास्पिटल का निर्माण	इस संबन्ध में निदेशक ईएसआईसी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। कार्यवाही–निदेशक ईएसआईसी।	कार्यालय पत्रांक 1268 दिनांक 16–8–22 द्वारा कार्यबृत्त की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया है।
7	औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में पार्किंग की ब्यवस्था	सेलाकुई में टपर वेयर के नजदीक नदी किनारे स्थित रिक्त भूमि में पार्किंग बनाये जाने के सम्बन्ध में सेलाकुई के उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया था कि उक्त भूमि में जिला पंचायत द्वारा कूड़ा घर बनाये जाने का प्रस्ताव है । उद्यमियों द्वारा सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत अग्निशमन विभाग के पास अधिक भूमि होने के कारण उक्त भूमि में पार्किंग की ब्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया गया । क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल द्वारा अवगत कराया गया कि अग्नि शमन विभाग के नाम भूमि होने के कारण उक्त भूमि पर पार्किंग नहीं बनाई जा सकती है । जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक ,सिडकुल को फायर स्टेशन हेतु आवंटित रिक्त भूमि पर एवं जिला पंचायत को टपरवेयर के समीप नदी किनारे स्थित रिक्त भूमि पर पार्किंग की ब्यवस्था किये जाने के संदर्भ में निर्देश दिये गये । क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल सेलाकुई को अपने स्तर से आवश्यक वैकल्पिक ब्यवस्था की कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं। कार्यवाही– क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल के पत्र संख्या 216 दिनांक 29–8–22 के क्रम अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सेलाकुई ने अपने पत्र संख्या 365 / पार्किंग / 22–33 दिनांक 26–9–22 द्वारा उप जिलाधिकारी विकासनगर को पत्र प्रेषित करते हुये वार्ड नम्बर–4 जमनपुर में कैम्प रोड के किनारे खाता संख्या 1158 खसरा नम्बर–323 रकवा 14.01 एकड के सापेक्ष मौके पर खाली भूमि में 150 से 250 ट्रकों की पार्किंग के लिये चिन्हित व विकसित किया जा सकता है, इस हेतु राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है। अग्रेत्तर प्रगति सूचना अपेक्षित है।
8	सेलाकुइ स्थित खसरा नम्बर 295, 296, एवं 323 की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत	उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि स्वारना नदी में बहुत समय से चुगान नहीं हुआ है जिस कारण नदी के बीच का स्तर ऊंचा हो गया है और पानी वर्षा में नदी के किनारों से बहता है जिस कारण नदी के किनारे का पुश्ता एवं सड़क क्षतिग्रस्त हुई है । जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिये कि अधिशासी अभियन्ता सिंचाईखण्ड विकासनगर स्थलीय निरीक्षण करते हुये अपनी जॉच रिपोर्ट प्रेषित करेगें साथ ही जिला स्तर पर खनन अधिकारी की तैनाती होते ही अग्रेत्तर कार्यवाई की जाय। कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड विकासनगर।	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड विकासनगर ने जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र दिनांक 17–8–22 द्वारा सूचित किया है कि स्वारना नदी से सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत तिलवाडी से मौजा जगतपुर खादर की बाढ सुरक्षा योजना का अनुमानित लागत रू0–528.40 लाख का प्रस्ताव उच्चाधिकारियों के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जा चुका है। उत्तराखण्ड शासन आपदा प्रबन्धन अनुभाग–01 आदेश संख्या 1138 / दिनांक 26 सितम्बर,2022 द्वारा लागत रू0– 413.80 लाख आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत प्ररस्ताव स्वीकृति हेतु विस्तृत आख्या आपदा प्रबन्धन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गयी है– 1–उप जिलाधिकारी विकासनगर। 2– महा प्रबन्धक उद्योग 3–जिला खनन अधिकारी 4–जिला उद्यान अधिकारी 5– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,विकासनगर। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, को समिति के सदस्यों के साथ समन्वय करते हुये आख्या आपदा प्रबन्धन विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

			गठित समिति द्वारा आख्या शासन आपदा प्रबन्धन अनुभाग को प्रेषित कर दी गयी है।

3– औद्योगिक आस्थान विकासनगर एवं लांघा रोड़

9	औद्योगिक आस्थान विकासनगर में मूलभूत सुविधायें यथा नाली निर्माण, बावण्ड्रीवाल,स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था	जिलाधिकारी महोदया द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदया के साथ एक सप्ताह के अन्दर बैठक कर अपर मुख्य अधिकारी के प्रतिनिधि अभियन्ता जिला पंचायत को कार्य निस्तारण के निर्देश दिये गये है। दिनांक 30–8–22 को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत तथा महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को संयुक्त रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये है। कार्यवाही– अपर मुख्य अधिकारी नगर पंचायत/महा प्रबन्धक जि0उ0के0।	संयुक्त निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि जिला पंचायत द्वारा आगंणन तैयार कर बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा तथा स्वीकृति के उपरान्त कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। औद्योगिक आस्थान की वाउण्ड्री वाल निर्माण हेतु आंगणन तैयार कर आगामी वित्तीय वर्ष में जिला योजना अथवा विभागीय वजट से महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

10	औद्योगिक क्षेत्र लांघा रोड़ में रैदापुर की ओर से आने वाली सड़क पर पानी की निकासी की समस्या का निस्तारण।	जिलाधिकारी महोंदया द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदया के साथ शीघ्र बैठक कर अपर मुख्य अधिकारी के प्रतिनिधि अभियन्ता जिला पंचायत को कार्य निस्तारण करने के निर्देश दिये गये । दिनांक 30–8–22 को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत तथा महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को संयुक्त रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये है। कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग(प्रा0खण्ड) देहरादून।	संयुक्त निरीक्षण आख्या में सूचित किया गया कि औद्योगिक इकाईयों एवं लांघा मुख्य मार्ग से बीच का स्थान में पानी की निकासी नहीं है तथा रैदापुर सडक की ओर से मुख्य मार्ग में नीचे की ओर ढलान होने पर पानी एकत्रित होता है,वर्षा मौसम में पानी औद्योगिक इकाईयों के अन्दर चला जाता है। मुख्य विकास अधिकारी के पत्र संख्या 1854 दिनांक 26 नवम्बर,22 द्वारा अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड देहरादून को स्टीमेट तैयार करते हुये समस्या का निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
11	नगर निगम क्षेत्र से बाहर के औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में कूड़ा उठान की समस्या	औद्योगिक क्षेत्र में कूडा उठान की व्यवस्था कर ली गयी है।	बिन्दु समान्त/विलोपित किया गया है।

12	नगर निगम क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को भवनकर, ब्यावसायिक कर एवं जलकर में छूट प्रदान किये जाने पर कार्यवाही ।	अध्यक्ष आईएयू द्वारा अवगत कराया गया है था कि नगर निगम क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के भवन कर, ब्यवसायिक एवं जलकर कामर्शियल आधार पर लगाया जा रहा है,उक्त करों को सरलीकृत करने का अनुरोध किया गया है ताकि उद्योगों के संचालन में प्रतिकूल प्रभाव न पडे। सहायक नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम अधिनियम 1959 में	जिलाधिकारी की ओर से पुनर्विचार हेतु नगर आयुक्त को पत्र प्रषित किया गया। नगर आयुक्त द्वारा कर अधीक्षक को प्रेषित पत्र संख्या 260 दिनांक 18–8–22 के क्रम में आख्या दी गयी कि नगर निगम अधिनियम 1959 में तथा सम्पत्ति कर नियमावली 2016 में नगर

		तथा संपत्तिकर नियमावली 2016 में नगर निगम क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को भवन कर में छूट दिये जाने का प्रविधान नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं पुनर्विचार हेतु उनकी ओर से नगर आयुक्त को पत्र प्रेषित किया जाय।	निगम क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को भवन कर में छूट दिये जाने का प्राविधान नहीं है। प्रकरण समाप्त किये जाने का प्रस्ताव है।
13	औद्योगिक क्षेत्रों में सम्पत्ति कर स्व–निर्धारण के सम्बन्ध में –	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 2016 के प्रविधानों के तहत भवन कर आरोपण किया जा रहा है, उक्त संबन्ध में मा0उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा भी निर्णय पारित किये गये है। इस संदर्भ में मा0उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं।	नगर आयुक्त से मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय की छाया प्रति प्राप्त कर कार्यालय पत्रांक 1502 दिनांक 21–9–22 द्वारा औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों को मेल से प्रेषित कर दी गयी है। प्रकरण समाप्त किये जाने का प्रस्ताव है।
14	मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र में सहारनपुर रोड़ से टाइटन वाचेज वाली सड़क पर कट के सम्बन्ध में	इण्डस्ट्रीज एशोसिएसन आफ उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया था कि मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र में सहारनपुर रोड़ से टाइटन वाचेज वाली सड़क पर जो कट पूर्व से था उसे बन्द कर दिया गया है एवं वहां पर से आगे लगभग 50 मी0 की दूरी पर यूटर्न से वाहन औद्योगिक क्षेत्र को मुड़ रहे हैं । वहां पर बडे वाहनों को मुड़ने हेतु पर्याप्त स्थान न होने के कारण यातायात बाधित हो रहा है अतः राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड से पूर्व से स्थित कट को खुलवाने की कार्यवाही की जाय। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून द्वारा सूचित किया गया है मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में देहरादून शहर के अन्दर दुर्धटनाओं को रोकने हेतु यू–टर्न कट बन्द किये गये हैं। इस क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 ए पर टाईटन चौक के पास पूर्व में यू–टर्न था, जिसे बन्द करवा दिया गया है।इस स्थान पर यू–टर्न खोलने पर दुर्घटना होने की प्रबल सम्भावना बनी रहेगी क्योंकि उस स्थान पर मार्ग के दोनों ओर दुकाने हे।। टाईटन चौक के आगे अब यू–टर्न मोहब्बेवाला चौक से हो रहा है। औद्योगिक संघों के पदाधिकारियों द्वारा असंतोष ब्यक्त करते हुये अन्य स्थान जहॉ पूर्व से यू–टर्न थे,उन्हें अभी खुला ही छोडने के कारण पूछे गये, अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग पीडब्लूडी देहरादून द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। उक्त प्रकरण पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा औद्योगिक संघों के पदाधिकारियों के अधिशासी अभियन्ता पी0डब्लू0डी0 साथ संयुक्त निरीक्षण के निर्देश दिये गये साथ ही आख्या जिला उद्योग मित्र समिति के माध्यम स`जिलाधिकारी महोदया को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता रा0रा0मा0खण्ड पी0डब्लू0डी0।	अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,लो0नि0वि0 ने अपने पत्र दिनांक 5–9–22 से अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एशोसिऐशन ऑफ उत्तराखण्ड द्वारा मैं0 सत्या इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र मोहब्बेवाला देहरादून को संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। अग्रेत्तर कृत कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

15	सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत सिडकुल द्वारा कराये जाने पर कार्यवाही–	बैठक में स्ट्रीट लाईट मरम्मत पूर्ण कर लिया गया है से अवगत कराया गया है।	बिन्दु समाप्त किया गया है।
16	औद्योगिक क्षेत्रों में हो रही अघोषित विद्युत कटौती की समस्या का निराकरण	वर्तमान में निर्वाध आपूर्ति सुचारू है।	बिन्दु समाप्त किया गया है।
17	उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार औद्योगिक भूमि के लीज/विक्रय विलेख में प्रभार्य स्टाम्पशुल्क में 50 प्रतिशत छूट दिये जाने का प्राविधान है किन्तु हाल में इस छूट का लाभ ले रहे उद्योगों पर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी व अर्थदण्ड लगाया गया है। इस समस्या का निराकरण किये जाने पर कार्यवाही।	इस संबन्ध में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) को शासनादेशों की प्रति प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। कार्यवाही–महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र।	अपर जिलाधिकारी(वित्त/राजस्व) को शासनादेशों की प्रति प्रेषित की गयी। अपर जिलाधिकारी ने अपने पत्र संख्या 554/स्टाम्प लिपिक–2022 दिनांक 16–9–22 द्वारा सूचित किया है कि आडिट टिप्पणी – *"स्थापित औद्योगिक के हस्तान्तरण पर कोई छूट अनुमन्य नहीं थी,अतःस्थापित औद्योगिक इकाईयों के हस्तान्तरण पर विलेखों पर भी सामान्य विलेख की भाँति स्टाम्प शुल्क प्रभार्यणीय थी।"* उनके पत्र संख्या 758/स्टाम्प लिपिक–22 दिनांक 4–1–22 तथा पुनः पत्र संख्या 529/स्टाम्प लिपिक–22 दिनांक 1–9–22 द्वारा सचिव,(वित्त अनुभाग) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून से मार्गदर्शन माँगा गया है,जो अभीतक प्राप्त नहीं हुआ है।
18	मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर विक्रमों, रेहड़ी ,ठेली,खोखा आदि द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने पर कार्यवाही।	औद्योगिक संघों के साथ नगर आयुक्त नगर निगम को स्वयं निरीक्षण करने हेतु जिलाधिकारी की ओर से पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। कार्यवाही–महा प्रबन्धक जि0उ0के/नगर आयुक्त नगर निगम ।	नगर निगम द्वारा दिनांक 6–8–22 एवं 25–8–22 को मोहब्बेवाला चौक पर जेब्रा फोर्स के साथ अभियान लगाकर मुख्य मार्ग एवं मोहब्बेवाला चौक से अवैध खडी ठेलियों को हटाया गया, जिसके फोटोग्राफ भी प्रेषित किये गये हैं। सहायक नगर आयुक्त ने अपने पत्र संख्या 115 दिनांक 31–8–22 द्वारा श्री विनय प्रताप चौहान कर अधीक्षक(भूमि) को निरन्तर अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं। बिन्दु समाप्त किये जाने का प्रस्ताव है।
19	औद्योगिक क्षेत्र मोहब्बेवाला में विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों एव नालियों के निर्माण में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में	जिलाधिकारी की ओर से नगर आयुक्त नगर निगम को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 30–8–22 को समीक्षा बैठक में औद्योगिक क्षेत्र मोहब्बेवाला में विभिन्न क्षेत्र की सडकों/नालियों की मरम्मत के सम्बन्ध में अपर नगर आयुक्त को एक सप्ताह के	संबन्धित निर्माण हेतु आगामी प्रस्तावित टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

	(अ)सहारनपुर रोड़ से मै0 बिंडलास बायोटेक लि0 की ओर जाने वाली सड़क (ब)सहारनपुर रोड़ से सुभाषनगर में मै0 सारा सांई लि0 वाली सड़क (स)सहारनपुर रोड़ से मै0 शक्तिभोग आटा वाली सड़क	भीतर अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये गये। कार्यवाही–महा प्रबन्धक जि0उ0के / नगर आयुक्त / अपर आयुक्त नगर निगम ।	
20	मै0 विनर एम्पायर प्लास्टिक , औद्योगिक क्षेत्र लांघा रोड़ के पड़ोसी द्वारा उनकी फैक्ट्री में माल को लाने व ले जाने में ब्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है जिस कारण उद्योग में भय ब्याप्त है । इसके निराकरण पर कार्यवाही ।	जिलाधिकारी द्वारा महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द को स्थिति की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। क्षेत्रीय सहायक प्रबन्धक / विकास अधिकारी प्रथम को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। इकाई द्वारा सूचित किया गया है कि श्री आशु गुलेरिया मोवाईल न0–8533820344 जिनका मकान इकाई गेट के सामने रोड के दूसरी और है द्वारा लोडड एवं अनलोडड कन्टेनर को लाने ले जाने में बाधा उत्पन्न की जा रही है,जिसके कारण उन्हें ब्यवसाय में नुकसार हो रहा है। सर्किल ऑफीसर / एस0आई0 थाना विकासनगर को आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से जिला उद्योग मित्र समिति के माध्यम से जिलाधिकारी महोदया को सूचित करने के निर्देश दिये गये है। कार्यवाही– सी0ओ0 / एस0आई0 थाना विकासनगर।	प्रगति सूचना अपेक्षित है।
21	राजकीय औद्योगिक आस्थानों की भूमि के संशोधित दरें शासन से निर्धारित न होने के कारण आवंटित भूखण्डों की लीज डीड निष्पादित न होने पर कार्यवाही	शासनादेश जारी होने पर कार्यवाही की जा रही है।	विन्दु समाप्त किया गया है।
22	स्ंदक ठंदा	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल सेलाकुई एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक आई टी पार्क देहरादून को कार्यवाही करने के निर्देश देते हुये अपनी रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। कार्यवाही–क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल सेलाकुई एवं आई टी पार्क देहरादून।	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल सेलाकुई ने अपने पत्र संख्या 300 दिनांक 1–12–22 द्वारा सूचित किया है कि शासन द्वारा दिेये गये निर्देशों के क्रम में रेशम विभाग,रानीपोखरी,लिस्ट्राबाद, देहरादून एवं ट्रीचिंग ग्राउण्ड के सर्वेक्षण का कार्य सिडकुल स्तर पर पूर्ण कर लिया गया है।
23	बृहद् क्षेत्र की मैन्यूफैक्चरिंग इकाईयों एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों को स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत छूट	शासनादेश संख्या 515 / (9) / 2021 / स्टाम्प–80 / 2009 दिनांक 16 दिसम्बर,2021 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम हेतु स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत छूट की भॉति ही बृहद् औद्योगिक इकाईयों एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों को भी स्टाम्प ड्॰यूटी में छूट प्रदान	सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को जिलाधकारी के पत्र संख्या 1614 / जि0उ0के0 / उद्योग मित्र / 22–23 दिनांक

		किये जाने हेतु कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग को उनकी ओर से पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है। कार्यवाही– महा प्रबन्धक जि0उ0के0	6–10–22 द्वारा वृहद् क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिगं इकाईयों एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों को भी छूट प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

ऐजेण्डा–2 अन्य प्रकरण अध्यक्ष महोदया की अनुमति से।

ऐजेण्डा–3 केवल जिला प्राधिकार समिति के सम्मुख अलग से प्रस्तुत किया जाना है।

विभिन्न उपादानों की स्वीकृतियां– विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को एम0एस0एम0ई0 योजना के अन्तर्गत देय उपादान दावों एवं महिला उद्यमियों के लिये प्रोत्साहन सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के द्वितीय त्रैमास के उपादान दावों को परीक्षणोंपरान्त जिला प्राधिकृत समिति के सम्मुख स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

ऐजेण्डा–4 हस्तकला/हथकरघा/उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट उत्पादों को प्रथम/द्वितीय पुरस्कार का चयन, केवल जनपद स्तरीय चयन समिति (अध्यक्ष–जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, सयोंजक– माह प्रबन्धक, सदस्य– हस्तकला/हथकरघा क्षेत्र के विशेषज्ञता प्राप्त– जिला ग्रामाद्योग अधिकारी,समाज कल्याण अधिकारी) के सम्मुख अलग से प्रस्तुत किया जाना है।

ऐजेण्डा–5

उत्तराखण्ड राज्य शिल्परत्न पुरूस्कार योजना हेतु प्राप्त आवेदन का चयन केवल जनपद स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (अध्यक्ष–जिलाधिकारी, सदस्य–समाज कल्याण अधिकारी,जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, सयोंजक –महा प्रबन्धक) के सम्मुख अलग से प्रस्तुत किया जाना है।